NYC HEALTH+ HOSPITALS

LegalHealth
A Division of NYLAG

बिना किसी डर के स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करें

आप सार्वजनिक शुल्क को लिए चिंतित हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने को न रोकें!

NYC Health + Hospitals आपकी उस स्वास्थ्य देखभाल को प्राप्त करने में मदद के लिए प्रतिबद्ध है जिसके आप अधिकारी हैं। हमारे वित्तीय परामर्शदाता और कानूनी साझेदार आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या यह सार्वजनिक प्रभार नियम आप पर लागू होता है।

	सार्वजनिक शुल्क से प्रभाव	कार्रवाई जो आप कर सकते हैं
NYC Health + Hospitals पर स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करना	स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करना सार्वजनिक प्रभार नियम द्वारा पहचाना गया सार्वजनिक लाभ नहीं है। यदि आप सार्वजनिक प्रभार नियम के अधीन हैं, तो अभी अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके आव्रजन आवेदन को बाद में मजबूत कर सकता है।	**बिना डर के देखभाल प्राप्त करें!**
मेडिकैड	कई आप्रवासी, जिनमें शरण-साधक, शरणार्थी, हिंसात्मक घटनाओं से पीड़ित कुछ लोग शामिल हैं, और वे लोग जिनके पास पहले से ही ग्रीन कार्ड हैं, सार्वजनिक प्रभार नियम के अधीन नहीं हैं। बचपन में आगमन के लिए स्थगित कार्रवाई (DACA) और अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) के प्राप्तकर्ता राज्य-वित्त पोषित मेडिकिड के लिए पात्र हैं, जो सार्वजनिक प्रभार नियम द्वारा पहचाना गया सार्वजनिक लाभ नहीं है।	**मेडिकैड के लिए पात्र अधिकतर न्यूयार्क वासी सार्वजनिक शुल्क की चिंता किए बिना नामांकन कर सकते हैं।** LegalHealth: 212-659-6188 को कॉल करके अपनी आव्रजन स्थिति पर तथ्यों को प्राप्त करें।
आपातकालीन मेडिकैड, गर्भवती महिलाओं के लिए मेडिकैड, इसेन्शल प्लान, Child Health Plus या योग्य स्वास्थ्य योजना	ये सार्वजनिक लाभ, सार्वजनिक प्रभार नियम द्वारा पहचाने गए नहीं हैं। माता-पिता को अपने नागरिक बच्चों को Child Health Plus या अन्य लाभों में नामांकन के लिए दंडित नहीं किया जाता।	**बिना डरे नामांकन करें!**
NYC Care अथवा H+H Options	NYC Care और H+H Options सार्वजनिक प्रभार नियम द्वारा पहचाने गए सार्वजनिक लाभ नहीं हैं।	**बिना डरे नामांकन करें!**

यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है कि आपके पास किस प्रकार की हेल्थ कवरेज है, तो अपने हेल्थ प्लान या NYC Health + Hospitals के संपर्क केंद्र को 844-NYC-4-NYC (844-692-4692) पर कॉल करें।

यदि आपको लगता है कि आप या परिवार का कोई सदस्य प्रभावित हो सकता है, तो मुफ्त, गोपनीय आव्रजन परामर्श के लिए LegalHealth की पब्लिक चार्ज हॉटलाइन को 212-659-6188 पर कॉल करें।

यह किसी कानूनी सलाह के रूप में नहीं है।

जारी ▶

सार्वजनिक शुल्क: क्या यह मुझ पर लागू होता है?

आपके और आपके परिवार के सदस्यों के पास **ग्रीन कार्ड्स** हैं।

सार्वजनिक प्रभार नियम आप पर तब तक लागू *नहीं* होता जब तक आप 6 महीने से अधिक समय के लिए देश से बाहर *नहीं* रहते हैं।

आप निम्नलिखित में से किसी के लिए आवेदन कर रहे हैं या पहले से ही आपकी निम्न में से कोई स्थिति है: **अमेरिकी नागरिकता, टी या यू वीजा, शरण-साधक, शरणार्थी, विशेष आप्रवासी किशोर, हिंसा के खिलाफ महिला अधिनियम (VAWA) स्व-याचिकाकर्ता।**

सार्वजनिक प्रभार नियम आप पर लागू *नहीं* होता है।
आप उस किसी भी सरकारी कार्यक्रम का उपयोग करना जारी रख सकते हैं, जिसके लिए आप पात्र हैं। इस स्थिति में रहने के दौरान मिलने वाले लाभों को आपके खिलाफ नहीं गिना जाएगा, भले ही आप किसी अन्य आधार पर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं।

आप या आपके परिवार के सदस्य की **ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने, वीजा के लिए आवेदन करने, या संयुक्त राज्य अमेरिका के *अंदर* से वीजा नवीनीकृत करने की योजना है।**

LegalHealth से आव्रजन परामर्श लें: 212-659-6188
हो सकता है आप अभी भी सार्वजनिक प्रभार परीक्षण के अधीन न हों, या आपके या आपके परिवार के सदस्यों को मिलने वाले सार्वजनिक लाभ परीक्षण के अधीन न हों।

आप या आपके परिवार के सदस्य की **ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने, वीजा के लिए आवेदन करने, या संयुक्त राज्य अमेरिका के *बाहर* से वीजा नवीनीकृत करने की योजना है।**

LegalHealth से आव्रजन परामर्श लें: 212-659-6188
विदेशों में अमेरिकी कांसुलर कार्यालय निर्णय लेने में विभिन्न सार्वजनिक प्रभार नियमों का उपयोग करते हैं। किसी पेशेवर से आव्रजन परामर्श लें और विदेशों में अमेरिकी कांसुलर कार्यालय से भी संपर्क करें।

यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है कि आपके पास किस प्रकार की हेल्थ कवरेज है, तो अपने हेल्थ प्लान या NYC Health + Hospitals के संपर्क केंद्र को 844-NYC-4-NYC (844-692-4692) पर कॉल करें।

यदि आपको लगता है कि आप या परिवार का कोई सदस्य प्रभावित हो सकता है, तो मुफ्त, गोपनीय आव्रजन परामर्श के लिए LegalHealth की पब्लिक चार्ज हॉटलाइन को 212-659-6188 पर कॉल करें।

यह किसी कानूनी सलाह के रूप में नहीं है।

Hindi